

11/12/18

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित। पीठसभिक कार्य कार्य नहीं के साथ होने के साथ पत्रावली नहीं पढ़ा। तारीख 31/12/18 तक जेश है।

31/12/18

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित। पीठसभिक कार्य कार्य नहीं के साथ होने के साथ पत्रावली नहीं पढ़ा। तारीख 02/01/19 तक जेश है।

7/01/19

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित। बर-बंदव आवाजे लगे। वादी वकील व वादी स्वयं कोई उपस्थित नहीं आया। तथा काफी अवसर लेने के बाद भी शामिल करवाने में रुचि नहीं दिखाई और ना ही सम्मन तलवाना पेश किया जो आदेशिका दिनांक 19/01/17 से निरन्तर चल रहा है। ऐसी सूरत में आदेश 9 नियम 5 CPC का इस्तेमाल है और सम्मन तलवने के आदेश में इम्फ वार्ड का चलने योग्य नहीं है। आदेश 9 नियम 5 CPC के तहत प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दायरा से डम होकर दाखिल दफतर है।

पुस्तक अधिकारी  
उत्सव (बीकानेर)